न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –239/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00339

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी वर्तमान तहसीलदार चेचट जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

रंगलाल आत्मज देवीलाल गुजर निवासी सोहनपुरा तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– /08/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम सोहनपुरा के आराजी खसरा नम्बर 443/1 रकबा 1.29 हे0, भूमि दिनांक 22.06.2002 को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त । बावजूद सूचना के अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम सोहनपुरा तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 443/1 रकबा 1.29 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । साथ ही आवंटित भूमि की नकल जमाबंदी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवंटित भूमि वर्तमान में जल संशाधन विभाग के नाम दर्ज होकर गे0मु0 बांध दर्ज होने से प्रकरण अन्तर्गत धारा 14(4) का नहीं बनने से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर बन्द की जाना उचित होगा ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम सोहनपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 443/1 रकबा 1.29 हे0, भूमि दिनांक 22.06.2002 को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से यह जाहिर हो रहा है कि आवंटी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमाबंदी अनुसार आवंटित भूमि खसरा नम्बर 443/1 रकबा 1.29 हे0 जल संशाधन विभाग के नाम दर्ज होकर भूमि की किस्म गै0मु0 बांध दर्ज है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर नियम 14(4) के तहत स्वीकार करना उचित नहीं होने से तहसीलदार रामगंजमण्डी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर समाप्त की जाकर प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप आवंटित भूमि खसरा नम्बर 443/1 रकबा 1.29 हे0 जल संशाधन विभाग के नाम दर्ज होकर भूमि की किस्म गै0मु0 बांध दर्ज होने से प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

6. निर्णय आज दिनांक .08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा